



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2009/ज्येष्ठ 21, 1931

No. 343]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2009/JYAISTHA 21, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2009

सा.का.नि. 403(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 में संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं :—

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली (पुलिस सेवा) संशोधन नियम, 2009 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है), के नियम 4 के उप नियम (1) के द्वितीय परन्तुक में '12,000-16,500 रुपए' शब्दों और अंकों के स्थान पर "15,600-39,100 रुपए तथा 7600 रुपए ग्रेड पे" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों की अनुसूची I के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची I

[नियम 4 (1) देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के विभिन्न ग्रेडों में इयूटी पदों के नाम, संख्या और वेतनमान।

भाग-क सेवा की श्रेणियां (ग्रेड) एवं स्वीकृत नफरी

(क)	सेवा की श्रेणियां (ग्रेड)	पे-बैंड	वेतनमान	ग्रेड पे
(1)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I (समूह-क)	पी बी-4	37,400-67,000/-रु.	8700 रु.
(2)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II (समूह-क)	पी बी-3	15,600-39,100/-रु.	7600 रु.
(3)	चयन ग्रेड (समूह-क)	पी बी-3	15,600-39,100/-रु.	6600 रु.
(4)	प्रविष्टि ग्रेड (समूह-ख)	पी बी-2	(i) 9,300-34,800/-रु. (प्रारंभिक नियुक्ति पर)	4800 रु.
		पी बी-3	(ii) 15,600-39,100/-रु.	5400 रु.
(चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी होने पर सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा अनुमति के अध्यधीन)				

(ख) स्वीकृत नफरी

(1)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विशिष्ट पद	315
(2)	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	10
(3)	लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	1
(4)	दमण एवं दीव प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	2

(5)	दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	1
(6)	प्रतिनियुक्ति, अवकाश एवं प्रशिक्षण रिज़र्व	105
	कुल (1से 6)	434
(ग)	रिज़र्व	
(1)	329 के 12 प्रतिशत पर प्रतिनियुक्ति रिज़र्व	39
(2)	329 के 10 प्रतिशत पर अवकाश रिज़र्व	33
(3)	329 के 10 प्रतिशत पर प्रशिक्षण रिज़र्व	33
	कुल	105
भाग-ख	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I तथा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II में पद	
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पद	
(i)	अपर पुलिस उपायुक्त (भारतीय रिज़र्व बटालियन)	15
(ii)	अपर पुलिस उपायुक्त (दिल्ली सशस्त्र पुलिस बटालियन)	10
(iii)	अपर पुलिस उपायुक्त (जिला मुख्यालय)	13
(iv)	अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध एवं रेलवे)	2

(v) उप-प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज	1
(vi) अपर पुलिस उपायुक्त (पुलिस नियंत्रण कक्ष)	2
(vii) अपर पुलिस उपायुक्त (प्रोविजन एण्ड लाइन्स)	1
(viii) अपर पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा)	1
(ix) अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात)	2
(x) अपर पुलिस उपायुक्त (सतर्कता)	2
(xi) अपर पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग)	1
(xii) अपर पुलिस उपायुक्त (स्पेशल टास्क फोर्स)	1
(xiii) अपर पुलिस उपायुक्त (आर्थिक अपराध विंग)	2
(xiv) अपर पुलिस उपायुक्त (महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ)	1
कुल	54

भाग ग प्रविष्टि ग्रेड और चयन ग्रेड में पद

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पद सहायक पुलिस आयुक्त	261
(ख) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अधीन पद पुलिस उपाधीक्षक	10

(ग) लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद	
पुलिस उपाधीक्षक	1
(घ) दमण और दीव प्रशासन के अधीन पद	
पुलिस प्रमुख, दमण और दीव	2
(ङ) दादरा और नगर हवेली प्रशासन के अधीन पद	
पुलिस प्रमुख, दादरा और नगर हवेली	1
भाग ग के (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) का योग	275
भाग ख और ग का कुल योग	329
प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण रिजर्व	105
कुल योग	434

[फा. सं. 14046/51/2008-यूटीएस-II]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

नोट : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 6 अगस्त, 2003 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 635(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे।